

**श्री महानन्द सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त गै०स०सं०सं०-256/24 से उद्भूत
आश्वासन सं०-1648/24 से संबंधित अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन।**

संकल्प	आश्वासन	कार्यान्वयन प्रतिवेदन
यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह अरवल जिला के मेहन्दिया, बैदराबाद में सोन नहर पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण करावें"	माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका सर्वेक्षण हमलोगों ने करवाया है, असल में यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है और उसकी मरम्मत करना और सुरक्षा और जोखिम के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए महलोग वहां पर नये पुल की संभावना तलाश रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे।	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मामला पटना मुख्य नहर के कि०मी० 52.20 पर अवस्थित मेहन्दिया पुल एवं कि०मी० 63.80 पर अवस्थित बैदराबाद पुल से संबंधित है। यह पुल ब्रिटिश काल में निर्मित है, जो काफी पुराना एवं जर्जर स्थिति में है। पटना मुख्य नहर के कि०मी० 52.20 पर अवस्थित मेहन्दिया पुल के निकट नये पुल के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। पथ निर्माण विभाग द्वारा नये पुल के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किया जा चुका है एवं निविदा आदि की प्रक्रिया की जा रही है। पटना मुख्य नहर के कि०मी० 63.80 पर अवस्थित बैदराबाद पुल स्थल से 200 मी० अप-स्ट्रीम में एन०एच०-139 पर चार लेन पुल एवं 1400 मी० डउन-स्ट्रीम में एक पथीय पुल पूर्व से निर्मित है, जिसका उपयोग आमलोगों द्वारा आवागमन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नहर निरीक्षण हेतु किया जाता है। बैदराबाद के निकट पटना मुख्य नहर का जलश्राव 1085 घनसेक है। विभागीय मापदण्डों के अनुसार नहर का जलश्राव 1000 घनसेक से 5000 घनसेक के बीच रहने पर दो पुलों के बीच की न्यूनतम दूरी 2414 मी० निर्धारित है। फलस्वरूप बैदराबाद पुल के निकट पुल का निर्माण किये जाने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि बैदराबाद पुल के निकट नये पुल का निर्माण किये जाने हेतु पुल निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है, तो जल संसाधन विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०३-१४ / २०२४

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-४९३ दिनांक-१९.०३.२०२५ के आलोक में गै०स०सं०सं०-२५६ / २०२४ से उद्भूत आश्वासन सं०-१६४८ / २०२४ का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०३-१४ / २०२४

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०३-१४ / २०२४

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-०३, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०३-१४ / २०२४

3954 पटना / दिनांक : 10.1.26

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-१७, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव